

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,  
कौटिल्य नगर, पटना-14.

फोन नं०- 2223727  
फैक्स नं०-2224529

ई०-निविदा सूचना संख्या- 42/2019-20

1. निविदाकर्ता का पदनाम : मुख्य अभियंता, पटना ।
2. निविदा प्रकाशन की तिथि : 12-02-2020
3. निविदा कागजात डाउन लोड करने की प्रारम्भिक तिथि एवं समय : 12-03-2020 के अपराह्न 11.00 बजे से।
4. निविदा कागजात डाउन लोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय : 19-03-2020 को अपराह्न 5.00 बजे तक।
5. निविदा अप लोड करने की अंतिम तिथि एवं समय : 21-03-2020 को अपराह्न 3.00 बजे तक।
6. परिमाण-विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि जमा करने की तिथि, समय एवं स्थान : 23-03-2020 को 3.00 बजे अपराह्न तक कंडिका-17 के अनुसार।
7. निविदा की तकनीकी वीड खोलने की तिथि एवं समय : 24-03-2020 को 3.30 बजे अपराह्न ।
8. निविदा खोलने का स्थान : वेबसाईट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर ।
9. निर्माण कार्य का व्यौरा :- :


क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य० अभि०, बि०पु०भ० नि०नि०, कार्य प्र०	परिमाण विपत्र की राशि (लाख रु.में)	अग्रधन की राशि रु. में	परिमाण विपत्र का मूल्य रु० में	निविदा प्रसंस्करण शुल्क रु० में	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	पटना जिलान्तर्गत अम्हारा (बिहटा) आई० आई० टी० परिसर में आधारभूत संरचनाओं के साथ ओ० पी० भवन एवं आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पटना	489.70	979400	10000	17700	9 माह
2.	पटना जिलान्तर्गत रेल थाना मोकामा का आधारभूत संरचनाओं के साथ थाना भवन सह बैरक का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पटना	160.00	320000	10000	5900	9 माह
3.	पटना जिलान्तर्गत रेल थाना बिहटा का आधारभूत संरचनाओं के साथ थाना भवन सह बैरक का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पटना	160.00	320000	10000	5900	9 माह
4.	पटना जिलान्तर्गत रेल थाना दानापुर का आधारभूत संरचनाओं के साथ थाना भवन सह बैरक का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पटना	160.00	320000	10000	5900	9 माह
5.	पटना जिलान्तर्गत रेल पी० पी० फतुहा का आधारभूत संरचनाओं के साथ थाना भवन सह बैरक का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पटना	160.00	320000	10000	5900	9 माह
6.	पटना जिलान्तर्गत अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ के कार्यालय एवं आवासीय भवन का आधारभूत संरचनाओं के साथ विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पटना	107.62	215300	10000	5900	9 माह
7.	भागलपुर जिलान्तर्गत शाहकुण्ड थाना में आधारभूत संरचनाओं के साथ नक्सल थाना भवन, 6 यू० एस० आवास, 6 एल० एस० आवास, पुलिस निरीक्षक कार्यालय तथा आवास, 5 सीटेड शौचालय सह स्नानागार, वाच टावर एव मोर्चा का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	भागलपुर	718.47	1437000	10000	17700	12 माह
8.	बेगुसराय जिलान्तर्गत (नवादा जिला के रोह थाना भवन निर्माण के बदले ) नीमाचांदपुर थाना भवन, 6 एल०एस० आवास एवं 4 यु०एस० आवास का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	306.11	612300	10000	17700	9 माह

10. निविदा वैधता की अवधि 120 दिन होगी ।

11. ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदकों के पास उपयोगकर्ता का नाम तथा पासवर्ड अंकीय हस्ताक्षर होना अनिवार्य है । यह उन्हें बेवसाईट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) से डाउन लोड करने /निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा ।
12. इस निविदा की अन्य विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के बेवसाईट [www.bpbcc.co.in](http://www.bpbcc.co.in) पर देखा जा सकता है तथा ई-निविदा-पत्र [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) से प्राप्त किया जा सकता है । संवेदक द्वारा सिर्फ उपर्युक्त बेवसाईट से ही परिमाण विपत्र प्राप्त करने के उपरांत बेवसाईट पर ही ईलेक्ट्रॉनिक निविदा पत्र को भरकर भेजना है । सभी महत्वपूर्ण कागजात/ बैंक ड्राफ्ट/अग्रधन की राशि / आयकर पैन नं0, GST निबंधन / उचित श्रेणी का निबंधन प्रमाण-पत्र तथा जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, पार्टनरशीप फार्म के लिए साझेदारी संलेख (Partnership deed) या रजिस्टर्ड कम्पनी के लिए संघ नियम। निविदा के साथ भी उपर्युक्त सभी अद्यतन प्रमाण-पत्रों की पठनीय प्रति अपलोड करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अमान्य समझी जायेगी । अद्यतन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद मान्य नहीं होगा । सिर्फ अपलोड किया गया कागजातों पर विचार किया जायेगा एवं यह माना जायेगा कि आपके द्वारा अपलोड किया गया है। सभी कागजात सही है इस आशय का शपथ पत्र (ई-चलान) मूल में देना अनिवार्य है जो निविदा आमंत्रण की तिथि के पश्चात का हो इसके अभाव में समर्पित निविदा अमान्य समझी जायेगी ।
13. अन्य सरकारी विभाग यथा- सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपक्रम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय के निबंधित संवेदक भी निविदा देने हेतु सक्षम होंगे, परंतु निविदित कार्य आवंटित होने पर एकरारनामा के पूर्व उन्हें निगम में निबंधन कराना अनिवार्य होगा । अगर किसी संवेदक को पूर्व में निगम से कार्य किसी अन्य विभाग के निबंधन पर आवंटित हुआ है तथा उनके द्वारा अभी तक निगम में निबंधन नहीं कराया गया है तो जैसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।
14. निविदाकारों द्वारा आयकर विभाग के साईट से वित्तीय विवरणी (ऑडिट रिपोर्ट) डाउनलोड कर ई0-निविदा में अपलोड किया जाय, इसके अभाव में समर्पित निविदा अमान्य समझी जायेगी ।
15. वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा उसके आगे की सभी वित्तीय विवरणी (ऑडिट रिपोर्ट) चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा निर्गत यू0डी0आई0एन0 के साथ ई0-निविदा में अपलोड किया जाय, इसके अभाव में समर्पित निविदा अमान्य समझी जायेगी ।
16. निविदा में परिमाण विपत्र से 10% से अधिक कम दर उद्धृत करने वाले निविदादाता की निविदा अमान्य मानी जायेगी । परिमाण विपत्र की दर से कम दर देनेवाले निविदा-दाता से Additional Performance guarantee रूप में अतिरिक्त अग्रधन की राशि एकरारनामा से पूर्व लिया जायेगा ।
17. प्राक्कलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है, तदनुसार परिमाण विपत्र की राशि घट बढ़ सकती है। अतएव परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रधन की राशि देय होगी । समुचित अग्रधन के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी । अग्रधन की राशि छः/पाँच वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र/बैंक ड्राफ्ट अथवा, किसान विकास पत्र जो कार्य से संबंधित कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कार्य प्रमण्डल-पटना/दरभंगा/पूर्णिया/मगध प्रमंडल कैम्प-डेहरी/मुजफ्फरपुर प्रमंडल कैम्प-हाजीपुर/ राजगीर एवं भागलपुर पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित हो मान्य होगा । इसके अतिरिक्त एक करोड़ से अधिक के निविदा हेतु बैंक गारंटी जो निविदा के मान्य अवधि से 45 दिन अधिक अवधि तक के लिये बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक से निर्गत हो, मान्य होगा। निविदा के साथ अग्रधन (Earnest Money) की राशि के रूप में जमा डिमान्ड ड्राफ्ट के पीछे निविदाकार का नाम, निविदा सूचना सं0 तथा ग्रुप सं0 अंकित कर समर्पित किया जाय ।  
अग्रधन की राशि यथा- बैंक ड्राफ्ट आदि उपरोक्त कंडिका सं0-5 में अंकित तिथि तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायेगा ।  
ई. निविदा से संबंधित कार्यों के परिमाण-विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि एवं शपथ पत्र (ई-चलान) मूल रूप में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्यालय (मुख्यालय) के लेखा शाखा या अधीक्षण अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना या कण्डिका-9 बायें से कॉलम-3 के अनुसार सम्बन्धित कार्यपालक अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का कार्य प्रमण्डल में उपरोक्त अंकित तिथि के अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा, शेष किसी कागजात को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
18. निविदाकारों द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे इंटरनेट सर्विस में किसी प्रकार का व्यवधान के सम्बन्ध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा । निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वे अपने निविदा को समय रहते उपर्युक्त बेवसाईट पर अपलोड कर लें ताकि अंतिम समय में होनेवाले किसी प्रकार के व्यवधान से बच सकें। निविदाकारों से निवेदन है कि अपलोड किये गये कागजातों को डाउन लोड कर संतुष्ट हो लें कि जो कागजात उनके द्वारा अपलोड किया गया है, वह निविदा के प्रावधानों के अंतर्गत सही है । इस संबंध में किसी भी त्रुटि की पूर्ण जबाबदेही निविदाकारों की स्वयं होगी ।

19. किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शुद्धिपत्र को वेबसाईट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर प्रकाशित किया जायगा । बिना कारण बताये निविदा या उसके अंश को अस्वीकार/रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है । किसी भी प्रकार की जानकारी/ सूचना हेतु सहायता कक्ष, मंजिल, एम-22, बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, रोड नं0-25, श्रीकृष्णा नगर, पटना-800001 से दूरभाष संख्या-0612-2523006/7542028164 एवं फैक्स नं0-0612-2523006 पर अथवा कार्यालय से कार्यावधि में संपर्क किया जा सकता है ।
20. निविदा प्रपत्र वेबसाईट पर Tender Free View में उपलब्ध है जिसे सिर्फ वेबसाईट से ही प्राप्त (डाउन लोड) किया जा सकता है ।
21. निविदा कागजात भरकर वेबसाईट पर ही (अप लोड) किया जा सकेगा । निविदा खोलने की जानकारी वेबसाईट से ही प्राप्त होगी ।
22. निम्न संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे :- (i) डिवार (Debar) या काली सूची में दर्ज, (ii) जिनके पास एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति के तिथि के पश्चात् अकारण कार्य लम्बित हो, (iii) जो संवेदक कार्य आवंटन के उपरान्त निर्धारित अवधि में एकरारनामा नहीं किए हैं एवं (iv) जो संवेदक कार्य आवंटन के बाद एकरारनामा कर लिए हों, परन्तु कार्य अकारण प्रारम्भ नहीं किए हों ।
23. निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है ।
24. उपरोक्त वर्णित कार्य की 2 करोड़ से ऊपर की निविदा S.B.D. के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त की जायेगी, जो निविदा 40 लाख से ऊपर की है वह द्वि-वीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी एवं 40 लाख से नीचे की निविदा एकल वीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी । परिमाण विपत्र की निर्धारित राशि के अतिरिक्त 300 लाख से ऊपर के कार्य के लिए रू0 15,000/- + 18.00 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (GST) के रूप में, 70 लाख से ऊपर के कार्य के लिए रू0 5,000/- + 18.00 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (GST) के रूप में तथा 70 लाख से नीचे के कार्य के लिए रू0 1,000/- + 18.00 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (GST) के रूप में एवं परिमाण विपत्र के मूल्य को अलग-अलग स्तम्भ में दर्शाया गया है जो वापस नहीं होगा । निविदा प्रसंस्करण शुल्क (Bid Processing fee) मात्र ऑन लाईन मोड यथा क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट-बैंकिंग, NEFT/RTGS से वेबसाईट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) का उपयोग करते हुए यथा निविदा सूचना में प्रकाशित तिथि एवं समय के पूर्व भुगतान करना अनिवार्य है । निगम विलम्ब/ निविदा अपलोड नहीं करने, ईंटरनेट कनेक्शन की अनुपलब्धता, नेटवर्क यातायात /छुट्टियाँ या अन्य कारणों के लिए जवाबदेह नहीं होगा । परिमाण विपत्र का मूल्य किसी राष्ट्रीयकृत /अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के नाम से हो तथा पटना में भुगतेय हो उपरोक्त कंडिका सं0-5 में अंकित तिथि तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायगा । परिमाण विपत्र का मूल्य लौटाया नहीं जायेगा ।
25. लोक सेवक निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे ।
26. एकाधिक सफल निविदाकारों का उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये निविदाकार के साथ ही दर प्रक्रमण किया जायेगा एवं उसी निविदाकार को नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा ।
27. विद्युतीकरण कार्य (परिमाण विपत्र के अनुसार) सहित भवन की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का लाईसेंस होना अनिवार्य होगा, विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब कांट्रैक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र (मूल में ई-चलान) समर्पित करना अनिवार्य होगा । सिर्फ विद्युतिकरण कार्य के लिए विद्युतिकरण कार्य के स्वयं का लाईसेंस अनिवार्य होगा ।
28. निविदा की विज्ञापित तिथि को यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का कार्यालय बन्द हो जाय तब निविदा अगले कार्य दिन को उसी प्रक्रिया से तीन बजे अपराहन तक प्राप्त की जायेगी ।
29. किसी कार्य की प्रथम वार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा निविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी । निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद निगम द्वारा देय नहीं होगा । आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भुगतान होगा ।
30. निम्नलिखित आशय का शपत पत्र (मूल में ई-चलान) समर्पित करना अनिवार्य है-
- (क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है ।
- (ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar), काली सूची में दर्ज (Blacklisted) एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है ।
- (ग) मेरा/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता/प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है ।

- (घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात, विवरणी सत्य है।  
(ङ) उपर्युक्त कंडिका 'क', 'ख', एवं 'ग' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार मेरे ऊपर विधि सम्मत दण्ड, मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।
31. उपर्युक्त कंडिका- 30 (ङ) के संबंध में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने वाले निविदाकार के ऊपर विधि सम्मत दण्डात्मक यथा निबंधन को कालीसूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकार स्वतंत्र होंगे।
32. कंडिका 24 के कार्य हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सरकार एवं इन दोनों के उपक्रमों में समान प्रकृति के कार्य कराने का अनुभव, साक्ष्य सहित संलग्न करने वाले संवेदक ही मात्र सक्षम होंगे।
33. संवेदक कार्यस्थल, प्राक्कलन क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लें। इस संबंध में बाद में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
34. 2.00 करोड़ से उपर/ SBD के कार्यों में कंडिका-30 या SBD में अनुलग्नक प्रपत्र पर दी गई शपथ-पत्र मान्य होगा।


  
मुख्य अभियंता, 12/2/20

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

ज्ञापांक- एच0क्यू- 652

पटना, दिनांक- 12/2/2020

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कार्य प्रमण्डल- पटना, दरभंगा, मगध कैम्प डेहरी ऑन सोन, पूर्णियाँ, राजगीर, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।


  
मुख्य अभियंता, 12/2/20

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

ज्ञापांक- एच0क्यू- 652

पटना, दिनांक- 12/2/2020

प्रतिलिपि- मुख्य तकनीकी परामर्शी, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल- 1/2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/ श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक/ कार्यपालक अभियंता, प्रमंडल- मोनिटरिंग/विद्युत/सहायक प्रावैधिक सचिव/ निरूपण-1/2/ सचिव/ मुख्य लेखापदाधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक (कार्य), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
मुख्य अभियंता, 12/2/20


बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

ज्ञापांक- एच0क्यू- 652

पटना, दिनांक- 12/2/2020

प्रतिलिपि- वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना एवं पुलिस अधीक्षक, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।



  
मुख्य अभियंता, 12/2/20

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।